

2528 // वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, 30प्र0।
(चेक पोस्ट-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 17 मार्च, 2008

समस्त एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, 30प्र0।

समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(SIB/कार्य/ अपील/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय)वाणिज्यकर, 30प्र0।

समस्त डिप्टी कमिशनर(चे0पो0/ प्रवर्तन/ SIB/क0नि0/राज्य प्रतिनिधि/वाणिज्य कर, 30प्र0।

समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर / व्यापार कर अधिकारी, 30प्र0।

Keywords-47Import/ Verification Forms/ Penalty

आप अवगत है कि परिपत्र संख्या-स0के0-25 क-परिपत्र वैट व्यवस्था-2007/ 479/ व्यापार कर दि0 29-12-07/के द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि जो वस्तुएं उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त थी, किन्तु दि0 01-01-08 से वैट व्यवस्था लागू होने पर करयोग्य हो जायेगी तथा सहायता केन्द्र पर किसी पंजीकृत व्यापारी का ऐसा माल बिना आयात घोषणा पत्र के आता है तो जाँच चौकी पर तैनात अधिकारी द्वारा ऐसे माल के साथ बिल / बीजक / चालान तथा बिल्टी व यात्राशीट जो भी उपलब्ध हो की एक प्रति लेकर माल दि0 15-01-08 तक पास किया जायेगा तथा ऐसी प्रति संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। दि0 16-01-08 से 31-01-08 तक यदि जाँच चौकी पर ऐसा माल आता है और संबंधित पंजीकृत व्यापारी द्वारा बाद में आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र 38 प्रस्तुत कर दिया जाता है तो माल के संबंध में अभिग्रहण व जमानत वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। दि0 1-02-08 से माल के साथ आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र-38 होने पर ही माल पास किया जायेगा, अन्यथा स्थिति में विधि अनुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी।

कपड़ा व्यापार से संबंधित अनेको व्यापारियों द्वारा यह समस्या उठाई गयी है कि टेक्सटाइल मेड अप्स पर करदेयता आने के उपरान्त यह स्पष्ट नहीं था कि टेक्सटाइल मेड अप्स में कौन-कौन वस्तुएं सम्मिलित है, ऐसी परिस्थिति में अनेक व्यापारी अपने माल को टेक्सटाइल की श्रेणी में मानते हुए प्रान्त बाहर से बिना आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र-38 के आयात कर रहे थे, जिनका माल जाँच चौकियों पर रोक लिया गया है। टेक्सटाइल मेड अप्स के संबंध में धारा-59 के अन्तर्गत सर्वश्री मेफेयर इन्टर प्राइजेज, जी-23न्यू मुमताज मार्केट, राम कृष्ण पार्क लखनऊ के मामले में दिनांक 29-02-08 को निर्णय देते हुए टेक्सटाइल मेड अप्स के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। दि0 29-02-08 तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट न होने के कारण अनेक व्यापारियों द्वारा पंजीयन का दायित्व होते हुए भी पंजीयन नहीं कराया गया है तथा कर योग्य माल को करमुक्त मानते हुए प्रान्त बाहर से बिना आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र-38 के ही आयात किया जा रहा था तथा ऐसा माल जाँच चौकियों पर रोक लिया गया है जिससे व्यापारियों को कठिनाई हो रही है। जिन व्यापारियों द्वारा अभी तक पंजीयन नहीं कराया गया है उनको पंजीयन प्राप्त करने में अभी कुछ समय लगना स्वाभाविक है। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि टेक्सटाइल मेड अप्स के व्यापारियों द्वारा जो माल प्रान्त बाहर से बिना आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र-38 के आयात होता हुआ जाँच चौकियों पर पकड़ा गया है / अभिग्रहीत किया गया है वह संबंधित व्यापारियों द्वारा यदि अपने नाम पते के बिल के साथ आयात किया जा रहा हो तो ऐसे माल पर देय कर के बराबर नकद जमानत के रूप में वसूल करके ऐसे माल को अवमुक्त कर दिया जाये तथा सूचना संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाये। जिन पंजीकृत व्यापारियों का माल जाँच चौकियों पर बिना आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र-38 के आता हुआ पकड़ा गया है अथवा पकड़ा जायेगा उनके द्वारा यदि माल पकड़े जाने के बाद विधिवत् आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र-38 प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ऐसे माल को बिना जमानत अवमुक्त कर दिया जाये। उपर्युक्त दोनों सुविधाएं दि0 30-4-08 तक ही अनुमन्य होगी तथा उसके उपरान्त माल का आयात, आयात घोषणा पत्र / प्रपत्र-38 पर ही अनुमन्य किया जायेगा तथा अन्यथा स्थिति होने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इन निर्देशों का निष्ठा से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त वर्णित धारा-59 में दिये गये निर्णय दि0 29-02-08 की छाया प्रति भी सुलभ-संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।

(सुनील कुमार)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।